न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0 100/18–19

सकील अनवर वगै0 बनाम मो0 ईदरिस वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/2/23	आवेदक सिराजुल इस्लाम एवं अन्य पिता–स्व0 अब्दुल मनान, साकिन–बिण्ड महल्ला, थाना–चतरा, जिला–चतरा वर्तमान पता–लेपो रोड, रवि नगर, हजारीबाग द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद सख्या–27/08–09 में दिनांक–21.07.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन/बहस समर्पित किया गया। इस वाद में सिराजुल इस्लाम की मृत्यु हो जाने कारण सकील अनवर, मोनाजिर अहसन एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया है। पुनः मो0 अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाने कारण इशरत खातुन, सुहेल अख्तर, शोएब अख्तर एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह वर्तमान अपील मौजा–कठौतिया, थाना संख्या–189 के अन्तर्गत खाता संख्या–15, 57, 78 एंव 107 क्रमशः रकवा–2. 44 एकड़, 1.156 एकड़, 5.22 एकड़ एवं 1.27 एकड़ कुल रकवा–10.49 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह है कि उक्त वर्णित भूमि सेर्व के दौरान कारू कलाल, पिता–स्व0 अख्जु कलाल (आवेदक के दादा) के नाम से खतियान में दर्ज है। सर्वे रैयत कारू कलाल के द्वारा जमीन्दार को लगातार लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया है। अपने जीवन काल में शांतिपूर्वक दखलकार होकर कृषि कार्य करते रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों के द्वारा भी दखल कब्जा में रहे है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सर्वे रैयत के पुत्र अब्दुल मनान, अब्दुल रहमान एवं मो0 सुभान का नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज होकर वर्ष 1955, 1957, 1959 एवं अन्य वर्षो के लिए सरकारी रसीद निर्गत हुआ है। अब्दुल मनान, अब्दुल रहमान एवं मो0 सुभान के मृत्यु के बाद उनके पुत्र विभिन्न जगहों पर जीवन यापन हेतु बाहर चले गये इसलिए रसीद नहीं निर्गत करवा सके। विपक्षियों के द्वारा राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर	

गलत तरीके से जमाबंदी कायम करवा लिया गया परंतु वे कभी भी दखल कब्जा में नहीं आये है, जो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। अंचल अधिकारी, चतरा के समक्ष बकाया लगान लेकर रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया जो विविध वाद संख्या–27/08–09 के रूप में संधारित कर अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा बिना आवेदक को मौका दिये हुए ही आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश खारिज करने के योग्य है।" **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस में** उल्लेखित **किया गया है कि**–"विपक्षी संख्या–01 से 03 के द्वारा दायर कथन के विरूद्ध उल्लेखित करना है कि–"यह अपील वाद वास्तविक आधार के बिन्दु पर दायर किया गया है। यह है कि अपीलार्थी का टाईटल फर्जी बनावटी के कागजातों के कारण खत्म नहीं होता है कि क्योंकि अपीलार्थी एवं अन्य वर्ष 1911 में जब से खतियान बना है, तब से शांतिपूर्ण दखलकार है। यह है कि समय सीमा क्षांत करने संबंधी बिन्दु पर पूर्व में ही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा स्वीकृति दी गई है। यह है कि अचंल अंधिकारी, चतरा के दाखिल खारिज वाद संख्या–27/2008–09 के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। यह है कि फर्जी एवं बनावटी कागजात के आधार पर विपक्षी को राहत नहीं दिया जा सकता है। यह है कि विपक्षी के द्वार कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जो साबित कर सके कि अपीलार्थी के पूर्वज गरीब थे एवं लगान देने में सक्षम नहीं थे। यह है कि यदि किसी रैयत के द्वारा लगान नहीं दिया गया था तो सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के तहत् रेन्ट सुट वाद प्रारम्भ करने के पूर्व रैयत को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से मध्यवर्ती जमीन्दार के द्वारा भूमि बंदोबस्ती किया जाना नियमसंगत नहीं है। यह है कि बीबी खातुन के द्वारा बिना वैध कागजात के दखल कब्जा का दावा किया जाना सही नहीं है, मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह है कि विपक्षी के द्वारा भूमि सरेन्डर किये जाने की कहानी बताई जा रही है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूमि का सरेन्डर करने के समय माननीय उपायुक्त, हजारीबाग से सहमति के उपरांत लिखित रूप से दायर करना होता था, परन्तु भूमि सरेन्डर होने से संबंधित कोई कागजात साक्ष्य के रूप में विपक्षी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह है कि विपक्षी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनका दावा का आधार सादा हुकुमनामा है। निबंधन एक्ट 1908 के तहत् सादा हुकुमनामा का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। बंशी मियां जानते थे कि सादा हुकुमनामा का कोई

कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए उन्होनें सेल डीड संख्या–1094, दिनांक–29.07.1958 निर्गत किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा के द्वारा विपक्षी संख्या–01 से 03 के नाम से सादा हुकुमनामा के आधार पर बिना नोटिस निर्गत किये ही जमाबंदी कायम कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अंचल अधिकारी, चतरा कोई अधिकार नहीं है कि सादा हुकुमनामा के आधार पर बिना रिटर्न का जांच किये रसीद निर्गत करें। यह है कि कारूकलाल खतियानी रैयत है, जो वर्ष 1911 से लगातार दखल कब्जा में है। वर्ष 1959 से अबतक रसीद निर्गत हो रहा है। अंचल अधिकारी, चतरा के द्वारा यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि खतियानी रैयत के नाम रसीद निर्गत होने के बाद भी अन्य लोगो के नाम से प्रश्नगत भूमि का ही रसीद निर्गत किया जा रहा है। हल्का कर्मचारी के किये गया स्थल जांच एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि विपक्षियों का भूमि पर दखल कब्जा है। यह है कि अपीलार्थी टाईटल सुट वाद संख्या–14/1926 से संबंधित कागजात इक्ट्ठा करने के क्रम में यह अपील वाद दायर करने में विलम्ब हुआ है, जिसे पूर्व में ही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता महोदय के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह है कि फर्जी, बनावटी एवं धोखा से कायम किया गया जमाबंदी खारिज करने के योग्य है। (JLJR 2008 WPC. 4895/2007)'' अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या–04 के द्वारा दायर कथन के विरूद्ध उल्लेखित किया गया है कि–''खतियानी रैयत कारूकलाल, पिता–अख्जु कलाल के द्वारा भूमि त्याग किये जाने संबंधित कोई भी दस्तावेज विपक्षी के पास उपलब्ध नहीं है। यदि कारू कलाल के द्वारा भूमि त्याग दिया होता तो बिहार सरकार के द्वारा कारू कलाल के पक्ष में जमाबंदी कायम नहीं किया गया होता तथा जमीन्दार के द्वारा कथित सेटली के पक्ष में रिटर्न दिया गया होता परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही सेल डीड संख्या–1094, दिनांक–29.07.1958 को भी कानूनी मान्यता नहीं है क्योंकि किसी अजनबी के द्वारा निर्गत सेल डीड वैध कागजात नहीं है। यह है कि बीबी खातुन, कारू कलाल की पुत्री थी, जिनका शादी जैनुल आबेदिन के साथ हुआ था। बीबी खातून को मुआवजा के रूप में दोखतरीन दिया गया था। जमीन्दार बृज लाल मिश्रा के द्वारा दायर किया गया रिटर्न एवं हुकुमनामा गलत है क्योंकि वह विवादित भूमि का जमीन्दार नहीं थे।''

द्वितीय पक्ष–1 से 3 के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–अपील आवेदन को खारिज करने के योग्य बताया है। लिखित कथन में उल्लेखित किया गया है कि–''सर्वे

खतियानी रैयत कारू कलाल के द्वारा लगान नहीं देने के कारण प्रश्नगत भूमि मौजा–कठौतिया, खाता संख्या–15, 57, 78, 107 का भूमि जमीन्दार को सरेन्डर हो गया। इस प्रकार भूमि का प्रकार बकास्त हो गया। बकास्त भूमि के पूर्व जमीन्दार मोहनलाल गुप्ता, बाबुनंदन साहु एवं दुर्गी प्रसाद थे। यह है कि बंशी कुंजरा मौजा–कठौतिया के मार्जिनल रैयत थें। **बंशी कुंजरा के द्वारा पूर्व जमीन्दार से अनुरोध कर के मौजा–कठौतिया खाता संख्या–78, प्लॉट सख्या–552, 608, 813, 848, 853, 95, कुल रकवा–7.25 एकड़ भूमि दिनांक–06.01.1945 को सादा हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त किया गया एवं जमीन्दारी रसीद भी निर्गत करवाया गया। पैसे की आवश्यकता होने के कारण बंशी मियां के द्वारा मौजा–कठौतिया खाता संख्या–78, 107, 20, का कुल रकवा–7.24 एकड़ भूमि विपक्षी संख्या 01 से 03 की माता बीबी खातुन को निबंधित सेल डीड संख्या–1094 दिनांक–29.07.1958 के माध्यम से बेच दिया गया।** पंजी–2 में जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हुआ। बीबी खातुन की मृत्यु वर्ष 1982 में होने के बाद उनके पुत्र मो0 ईदरिश, अब्दुल करीम, मो0 नईम एवं मो0 नसीम अपनी माता को प्राप्त भूमि पर दखलकार होकर सरकारी रसीद प्राप्त कर रहे है।'' विपक्षी सख्या–01 से 03 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंकित किया गया है कि लम्बे समय से कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता हैं।

विपक्षी संख्या–04 के विज्ञ अधिवक्त अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''अपीलार्थी का अपील आवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए खारिज करने के योग्य है। आवेदक द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, चतरा का आदेश का छायाप्रति की अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश के विषय में सम्पूर्ण जानकारी थी। **यह है कि विपक्षी संख्या–04 की माता बीबी मजदा के द्वारा मौजा–कठौतिया खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–166, 886, रकवा–1.37 एकड़ भूमि बीबी शाहीदुन निशा से निबंधित सेल डीड संख्या–8388 दिनांक–08.12.1973 के माध्यम से प्राप्त किया गया है विक्रेता को भूमि पूर्वजमीन्दारी जगलाल मिश्र एवं अन्य से हुकुमनामा के माध्यम से भूमि प्राप्त है। विपक्षी 04 मंजर इकबाल अपनी माता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर शांतिपर्वूक दखलकार होकर काबिज है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है।** विपक्षी संख्या–04 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी का अपील आवेदन को

खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी संख्या–05 से 09 के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखति किया है कि–''यह है कि विपक्षी सख्या–05 से 09 इनायत मियां पिता–छकौरी मियां के वैध वंशज है, जिनके नाम से खाता सख्या–15, रकवा–2.16 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है जो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। यह है कि मौजा–कठौतिया के खेवटदारों के बीच बंटवारा सुट सख्या–14/1926 के आधार पर पूर्व जमीन्दार को भूमि प्राप्त हुआ था। **पूर्व जमीन्दार के द्वारा इनायत मियां के नाम से भूमि बंदोबस्त किया गया था।** जमीन्दारी उन्मुलन के बाद इनायत मियां के नाम से पंजी–2 में जमाबंदी कायम हुआ एवं सरकारी रसीद निर्गत हुआ। अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2008–09 में खतियान के आधार पर लगभग 100 वर्ष का रसीद निर्गत करवाना चाहते है, इसी से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नहीं बनता है। दोनों पक्षों के द्वारा कागजात के आधार पर दावा किया जा रहा है इसलिए राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि राजस्व न्यायालय के द्वारा किसी कागजात को Null and void धोषित नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी चतरा द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेखित किया है कि–''खेवट सख्या–02/8 से खेवटदार बाबु मोहन लाल ने थाना नं0–189 मौजा–कठौतिया के खाता संख्या–57 का कुल रकवा–1.56 एकड़ दिनांक–10.12.1932 को निबंधित पट्टा संख्या–565 एकड़ द्वारा वर्तमान प्रतिवादियों के पुर्वज शरण हजाम वल्द गोखुल हजाम साकिन बिण्ड चतरा को बंदोबस्त किया और जमीन पर दखल कब्जा प्रदान कर दिया था। अगले वर्ष खेवट संख्या–2/5 एवं 2/7 के खेवटदार हुसैनी साहु के वारिशान बाबु नंदन साहु वल्द साधु साहु वो दुर्गा प्रसाद वल्द बिन्देश्वर साहु सा0 चतरा से शरण हजाम ने मौजा कठौतिया थाना नं0–189 के अंदर खाता संख्या–107 अंतर्गत प्लॉट संख्या–533 रकवा–0.24 एकड़ भूमि दिनांक–08.07.1933 को सादा हुकुमनामा के माध्यम से हासिल कर के उस समय से लगातार स्वयं एवं उसके वारिशान दखल कब्जा में चले आ रहे है और उपरोक्त भूमि का बंदोबस्ती के बाद से ही जमीन्दारी लगान देते आ रहे थे। जमीन्दार उन्मूलन के बाद से भी लगान भुगतान करके लगातार सरकारी

लगान रसीद हासिल करते आ रहे है। इसी बीच शरण हजाम ने 1939 में उपायुक्त के न्यायालय में खाता संख्या–57 में जमीन्दार द्वारा बढ़ाये गये लगान को कम करने के लिए आवेदन दिया जिसपर तत्कालीन राजस्व अधिकारी ने मालकमी का आदेश भी पारित किया। जमीन्दारी उन्मूलन बाद मोहन लाल के उतराधिकारियों ने जमीन्दारी अधिग्रहण का मुवावजा हेतु केस दायर किया जिसमें दाखिल रिटर्न में भी शरण हजाम के नाम से लगान वसूली दर्ज है। इस प्रकार पट्टा एवं हुकुमनामा प्राप्ति के बाद से ही प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी संख्या–08 से 08 (v) के पूर्वज शरण हजाम के काल से शांतिपूर्ण दखल कब्जा हासिल है तथा लगातार जमीन्दारी रसीद हासिल किये। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद से लगातार सरकारी लगान रसीद हासिल करते आ रहें है। खतियानी रैयत कारू कलाल ने प्रश्नगत भूमि पर अर्से पहले से ही दखल कब्जा परित्याग कर दिया गया था और बराबर लगान बकाया होने पर उसे जमीन्दार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया था जिसका जिक्र खाता सख्या–57 के खेवटदार ने शरण हजाम के नाम निबंधित पट्टा में भी किया है। बाद में उसे प्रतिवादी संख्या 08 से 08 (v) के पुर्वज शरण हजाम के बंदोबस्त किया था। अतः आवेदक/वादी प्रश्नगत भूमि पर दावा खारिज करने के योग्य है। यह भी उल्लेख किया गया है संपूर्ण खेवट सख्या–02 के खेवटदारों के बीच बंटवारा वाद सख्या–14/1926 (विष्णु लाल सिंह वगैरह बनाम शिवनारायण सिंह वगैरह दिनांक–18.02.1935 को पारित फाईनल डिक्री के बाद, प्रतिवादियों के पुर्वजों ने जो जमीन जमीन्दारी से बंदोबस्त लिया था वह उन्ही के हिस्से में आया है और बंदोबस्ती प्राप्ति के समय से ही उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। साथ ही तदनुसार लगान रसीद भी हासिल किया जाता रहा है। जिसका इंद्राज अंचल के राजस्व पंजी–2 में कायम है, जिसका प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त है, इस प्रकार वादी का आवेदन खारिज किया जाना बिल्कुल सही वो जायज है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित रसीद क्रम संख्या 01 एवं 02 में 1920–23 एवं 1943–46 के रसीदों में रसीद जारी करने वाले मोहन लाल का हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये है जबकि बाद में क्रम संख्या–iii में 1947–49 के रसीद में इसे जारी करने वाले मोहन लाल का हस्ताक्षर हिन्दी में हैं। हस्ताक्षर हिन्दी में क्रम संख्या 5 एवं 6 के रसीदों में वर्ष 1977 का लगान वसूली दो बार दिखलाया गया है। पार्टिशन सूट वाद संख्या–14/1926 का फाईनल डिक्री पारित होने की तिथि 18.02.1935 के बाद खाता संख्या–15 का लगान पाने का हक, खेवट सख्या–02 में

6 आना $9\frac{1}{3}$ का अंश के खरीदार, उक्त बंटवारा वाद के पलैंटिफ संख्या–01 से 04 तक विष्णु लाल सिंह वगैरह) को मिला है। इस हाल में क्रम संख्या 7 एव 08 के 1943 से 1944 तक के रसीदों में नीहीरानन्द मिसिर का मालिक दिखाकर बृजलाल मिसिर लगान रसीद कैसे जारी कर सकते है? उपरोक्त विशलेशण के स्पष्ट है कि वादी द्वारा दाखिल सभी जमीन्दार लगान रसीदें जालसाजी कर निर्मित किये हैं। जहां तक अब्दुल मनान वगैरह के नाम जारी वादी द्वारा दाखिल तीन सराकरी लगान रसीदें, जो क्रमशः बिक्रम सम्वत् 2010–2012, 2013–2014 एवं 2015–2016 तदनुसार ई0 सन् 1953–1955, 1956–1957 एवं 1958–1959 खाता संख्या–57, 15, 107 एवं 78 के लिये जारी दिखलाये गये है। उनमे यह ध्यान देने योग्य है कि सन् 1955 के बाद के रसीदों में लगान का वसूली का वर्ष सामान्यत ई0 सन् लिखा गया है, विक्रम सम्वत् नहीं जबकि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त सभी जमाबंदी रसीदों में विक्रम सम्वत् लगान वसूली का वर्ष दिखलाया गया है। 2013–2014 के रसीद में 2014 का अंक''4'' अग्रेंजी में लिखा हुआ है, जबकि सभी रसीदों में वर्ष के अंक हिन्दी में लिखा हुआ है। पुनः यह भी विचारणीय है कि कारू कलाल के नमा से पूर्व में जारी जमीन्दारी रसीद, जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी रसीद अब्दुल मानन वगैरह के नाम कैसे जारी हुआ? जबकि राजस्व कर्मचारियों का निर्देश था कि पुर्व मेंजारी जमीन्दारी रसीद के अनुसार ही सरकारी रसीद जारी करें। पुनः अलग–अलग खाते का अलग–अलग कट रहा लगान रसीदों का एक साथ रसीद कैसे कटा? क्या इसके लिए कोई विविध वाद संधारित हुआ था? इनसे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी लगान रसीदें फर्जी विनिर्मित है। वादी द्वारा दाखिल निबंधित बिक्री केवाला संख्या–1054 दिनांक–29.05.1958 के अनुसार शेख बंशी मियां एवं वली मोहम्मद द्वारा बीबी खातून के पक्ष अन्य भूमि के साथ खाता सख्या–78 एवं 107 की भूमि हस्तांतरित किया गया है। ज्ञातव्य है कि बीबी खातून कारू कलाल की पुत्री है जो हुकुमनामा से बंदोबस्ती द्वारा बंशी मियां एवं वली मोहम्द का प्राप्त उपरोक्त भूमि पर उसका स्वत्व एवं दखल कब्जा नहीं था। ऐसे ही निष्कर्ष विद्वान अंचलाधिकारी चतरा ने भी अपने विविध वाद संख्या–27/2008–09 के फैसले में किया है। लंबे अर्से तक कारू कलाल अथवा उसके वारिसानों ने उक्त भूमि का वापसी के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। बाद में उन जमीनों के जमीन्दारी ने प्रतिवादियों के पुर्वजों को पट्टा हुकुमनामा से रैयती बंदोबस्ती दे दिया। इस प्रकार खाता संख्या–57 के

खेवटदार/जमीन्दार मोहन लाल के प्रतिवादी से 08 से 08 (v) के पूर्वज शरण हजाम का निबंधित पट्ट संख्या–565 दिनांक–10.12.1932 द्वारा मौजा कठौतिया अंतर्गत खाता संख्या–57, प्लॉट संख्या–107, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 166, 288 एवं 206/914 कुल रकवा–2.45 एकड़ उपरोक्त जमीन वार्षिक मालगुजारी 18 रूपया 10 आना पर दें कर दखल कब्जा प्रदान कर दिया। अगले वर्ष इसी मौजा के खाता संख्या–107 अंतर्गत प्लॉट संख्या–533 का रकवा–0.24 डी0 भूमि के जमीन्दार हुसैनी साहु के वारिसान एवं उतराधिकारी बाबु नन्दन साहु एवं दुर्गा प्रसाद साहु ने शरण हजाम को डेढ़ रूपये वार्षिक माल अदायगी पर सादा हुकुमनामा द्वारा दिनांक–08.07.1993 को पट्टे पर दे कर दखल कब्जा प्रदान कर दिया। उपरोक्त उक्त निबंधित पट्टा में यह जिक्र है कि जमीन का परित्याग कर मालगुजारी देना बंदकर दिया गया है तब उसे जमीन्दार ने अधिगृहित कर शरण हजाम को पट्टे पर दे रहे हैं। निबंधित पट्टे की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल है। यह ज्ञातव्य है कि खाता संख्या–57 के जमीनों का बंदोबस्ती शरण हजाम ने छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1908 की धारा 33 A के तहत् 18 रूपया वार्षिक मालगुजारी कम करने के लिए उपायुक्त हजारीबाग के यहां वर्ष 1939 में आवेदन किया तो उसका केस संख्या–258/1939 दर्ज होकर राजस्व अधिकारी द्वारा वार्षिक लगान कम करके 17 रूपया चार आना करने का आदेश पारित किया गया। उक्त के आदेश पत्र सहित रेन्ट डिडक्सन सिडयूल की फोटो कॉपी उतराधिकारीयों न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि केश की सुनवाई के दौरान बिना नोटिस प्राप्त किये भी जमीन्दार न्यायालय में उपस्थित हुये तथा सर्वे खतियानी दर्ज रैयत कारू कलाल के पुत्र अब्दुल मनान ने उक्त जमीन को अपना बतलाकर आपत्ति दर्ज किया किन्तु उसके स्वयं के आवेदन में अपने का ढाई वर्ष से संबंधित भूमि का दखल से बाहर होना स्वीकार किया था। इसलिए उसका आपत्ति खारिज कर दिया गया। जबकि सत्य है कि उसके पिता ने 15 वर्षो से भी ज्यादा अवधि से अपने खतियानी दर्ज भूमि को उपेक्षित करके परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वादी का दावा गलत है और निम्न राजस्व न्यायालय द्वारा उसके आवेदन खारिज किया जाना उचित है। उपरोक्त खाता संख्या–57 के खेवटदार के वारिशानों द्वारा जमीन्दार उन्मूलन के बाद अपने जागीर का मुवाबजा प्राप्त करने हेतु जो आवेदन किया गया उसके रैयतों की सूची का फोटो कॉपी उपलब्ध करके अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है जिसमें शरण हजाम उर्फ शरण ठाकुर के नाम खाता संख्या–57, प्लॉट

संख्या–328 एवं 530 रकवा–1.56 एकड़ जमीन का वसूल किये जाने वाले वार्षिक लगान विवरण दाखिल किया गया है। बंदोबस्ती धारक शरण हजाम के वारिशानों के बीच 1985–86 में आपसी बंटवारा के अनुसार लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी चतरा के यहां आवेदन पर केस संख्या–251/1985–86 दर्ज हुआ जिसका निष्पादन वाद सख्या–15/1986–87 द्वारा होकर उनका अलग–अलग जमाबंदी रसीद निर्गत होने लगा और तब से खाता संख्या–57 एवं 107 सहित उनके हिस्से के भूमि का एक साथ रसीद जारी किया जाने लगा और जिस के बाद वर्ष 1995–96 से 2008–09 तक जारी सरकारी जमाबंदी रसीद की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल है। उक्त सभी सरकारी रसीदों का इंदराज अंचल के कठौतिया मौजा के राजस्व पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 152 में किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य यह प्रमाणित करते है कि प्रश्नगत भूमि पर उतरार्थीयों का न केवल जायज दखल कब्जा कायम है बल्कि उसका निर्विवाद स्वत्व भी अक्षुण है। जमीन्दारों द्वारा बंदोबस्ती काल से ही उतराथियों के पूर्वज के नाम जारी रसीद एवं जमीन्दारी उन्मूलन ने उपरांत लंबे अर्से लगातार विधि सम्मत कायम जमाबंदी को रद्द करने का वादी/अपीलार्थी का मांग सही नहीं है। इस संदर्भ में J U R 2003 (iii) में प्रकाशित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 4895/07 पारित फैसला उधृत करना समीचीन होगा–It is well settled law a long running jamabandi can not be cancelled unless fraud and misrepresent tation is established in ipening jamabandi creation of jamandi gives a valuable right to the raiyats" पुनः चूंकि अपीलार्थी के पूर्वजों ने प्रश्नगत भूमि को बिना जमीन्दार को सूचना दिये स्वेच्छा से परित्याग किया था जिसकी स्वीकारोक्ति अपीलार्थी स्वयं अपने आवेदन में किया है। खतियान रैयत द्वारा भूमि का लंबी उपेक्षा के बाद उसे हस्तगत कर जमीन्दार ने अपने उपयोग में लिया और बाद में दूसरों को पट्टे पर दे दिया फिर भी अर्सो बीत जाने के बाद भी अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि पर पुनः अपना दखल कब्जा वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। जब कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 76 (3) में व्यवस्था है कि जब कोई जमीन्दार उसके रैयत द्वारा उपेक्षित भूमि में प्रवेश करता है अथवा दुसरों के उसे पट्टे पर देता है तो रैयत को पुनः इस भूमि पर दखल कब्जा पाने के लिए तीन वर्षो के अंदर उपायुक्त के न्यायालय में इस आशय का अपील लाया जाना चाहिए। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 73 (1) के परिक्षेप में माननीय

झारखण्ड उच्च न्यायालय का ''जम्हीर अंसारी बनाम केतना उरॉव वगैरह'' के अपील वाद में 2004 (1) में प्रकाशित फैसला इंगित करता है कि जमीन्दार को बिना सूचना दिये स्वेच्छा से रैयत द्वारा अपने रैयती भूमि का परित्याग करने पर सीएनटी के धारा 73 (2) के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय उसके भूमि को जमीन्दार स्वयं दखल में ले सकता है अथवा उसे दूसरों को पट्टे पर दे सकता है। अगर रैयत चाहे तो धारा 73 (3) के तहत पुनः दखल कब्जा पाने के लिए अगले तीन वर्षो के अंदर उपायुक्त के यहां अपील दायर कर सकता है। अन्यथा रैयत का स्वत्व समाप्त हो जाता है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने ''कमला प्रसाद सिंह वगैरह बनाम मनरूप सिंह वगैरह'' के 2004 (2) J L R 555 (JHO) में प्रकाशित फैसला में भी कहा है कि Section 73 gives right to the land lord to take possession of abandoned holding without preferring a suit इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर उतरार्थीगण का दावा की पुष्टि होती है तथा अपीलार्थी का अपील खारिज करने योग्य है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश का छायाप्रति समर्पित किया गया है। अचंल अधिकारी, चतरा द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक सिराजुल इस्लाम पिता–स्व0 अब्दुल मनान निवासी मौजा बिण्ड चतरा, जिला–चतरा के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। आवेदक के आवेदन के आलोक में सभी संबंधित पक्षकारों को सूचित किया गया एवं राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नलिखित है:– मौजा–कठौतिया, थाना–चतरा, थाना नं0– 189 अंतर्गत

खाता संख्या	**प्लॉट संख्या**	**रकवा (एकड़ में)**
15	107	0.06
	108	0.06
	110	0.11
	113	0.15
	117	0.15
	119	0.36
	122	0.30
	166	0.97
	288	0.20

	206	
	914	0.08
	कुल रकवाः–	**2.44**
57	328	0.16
	530	1.40
	कुल रकवाः–	**1.56**
78	552	0.42
	608	1.55
	823	0.82
	848	0.09
	853	0.16
	95	2.18
	कुल रकवा–	**5.22**
107	55	0.69
	318	0.34
	533	0.24
	कुल रकवाः–	**1.27**

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में उनके दादा कारू कलाल वल्द अरवजु कलाल के नाम से रैयती कायमी दर्ज है। उक्त भूमि पर वे अपने जीवन काल में एवं उनकी मृत्योपरांत उनके पुत्रगण शान्तिपूर्ण दखलकार रहें एवं जोत आबाद करते रहे। आवेदक का आगे कथन है कि उनके पिता एवं चाचा अब्दुल मनान के नाम से वर्ष 1955, 1957 एवं 1959 ई0 तक सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत है। काम के सिलसिले में बाहर चले जाने के कारण कुछ वर्षो से रसीद नहीं कटा सके हैं। उन्हें जानकारी मिली है कि प्रश्नगत भूमि की कुछ फर्जी रसीद दुसरे व्यक्ति कटा रहे हैं। जबकि उन्होनों कभी भी प्रश्नगत भूमि को किसी के साथ बिक्री नहीं किया है। अंत में आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि का बकाया मालगुजारी लेकर उनके नाम से रसीद निर्गत करने एवं अन्य व्यक्तियों के नाम से कट रही फर्जी रसीद को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। आवेदक द्वारा अपने पक्ष वो कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किए गयेः–

1. खेवट सख्या–2/8 की छायाप्रति–2 फर्द

2. जमीन्दारी मालगुजारी रसीद–8 फर्द
3. सरकारी मालगुजारी रसीद–3 फर्द
4. बिक्री केवाला सख्या–1054, दिनांक–29.05.1958 शेख वंशी मियॉ वगैरह बनाम बीबी खातुन की अभिप्रमाणित छायाप्रति–10 फर्द

विपक्षीगण द्वारा अलग–अलग सेट में लिखित जवाव/आपति दाखिल किया गया है। जमाबंदी रैयत शरण हजाम के उतराधिकारियों द्वारा दाखिल लिखित आपति में कहा गया है कि उनका सरोकर प्रश्नगत भूमि मौजा–कठौतिया थाना नं0–189, खाता संख्या–57 और 107 अंतर्गत क्रमशः प्लॉट संख्या–328 रकवा–0.16, प्लॉट सख्या–530, रकवा–1.40 एकड़ तथा प्लॉट संख्या–523, रकवा–0.24 एकड़ भूमि से ही है। उनका कथन है कि खाता संख्या–57 एवं 107 सर्वे खतियान में कारू कलाल के नाम से दर्ज थी परंतु सर्वे के तुरंत बाद खतियानी रैयत द्वारा विवादित भूमि पर खेती नहीं किया गया तथा जमीन्दार ने उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर स्वयं खेती करना प्रारम्भ किया। उनके पूर्वज शरण हजाम मौजा–बिण्ड के सीमान्त कृषक थे। उनके अनुरोध पर खाता सख्या–57, खेवट संख्या–2/8 में भूतपूर्व जमीन्दारी बाबु मोहनलाल ने निबंधित कबुलियत पट्टा दिनांक–10.12.1932 ई के माध्यम से शरण हजाम के नाम से खाता संख्या–57 भूमि को बंदोबस्ती कर दिया। उसी प्रकार खाता संख्या–107 खेवट सख्या–2/7 के खेवटदार बाबू नंदन साव ने खाता संख्या–107, प्लॉट संख्या–533 रकवा–0.24 एकड़ भूमि हुकुमनामा दिनांक–8 जुलाई 1933 के माध्यम से शरण हजाम को बन्दोबस्ती कर दिया, जिसका जमीन्दारी मालगुजारी रसीद एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् लगातार सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होता आ रहा है। उनके आगे कथन है कि वर्ष 1985–86 में हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त आवेदन अंचलाधिकारी चतरा के न्यायालय में दाखिल कर पंचायत बंटवारा के आधार पर अलग अलग रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में मुकदमा संख्या–251/85–86, 15/86–87 दर्ज यिका गया एवं दिनांक–18.03.1985 को इस न्यायालय द्वारा अलग–अलग मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। तब से लेकर शरण हजाम के उत्तराधिकारियों के नाम से अलग–अलग रसीद निर्गत किया जा रहा है। एवं उनका अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक दखल है। उनका यह भी कथन है कि वर्ष 1939 ई0 में शरण हजाम द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 (c) के अंतर्गत एक रेंट रिडक्शन वाद दायर किया गया था जिसमें विवादित भूमि का लगान घटाकर 18/– रू0 से 17/– रू

कर दिया गया था। अंत में विपक्षीगण द्वारा आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई है। अन्य जमाबंदी रैयतों की वारिसानों द्वारा भी लिखित आपत्ति दाखिल किया गया है। जो अभिलेख मे संलग्न है। उनके पूर्वजों (Ancestors) को प्रश्नगत जमीन विभिन्न बिक्री केवालो। हुकुमनामा द्वारा संबंधित खेवटदारो से प्राप्त हुई थी। खेवटदारो को उक्त भूमि बटवारा वाद संख्या–14/1992 मे पारित फैसले एवं बिक्री (.........) के माध्यम से नक्शा मापी के पश्चात बतौर हिस्सा में प्राप्त थी। अंचल के भाग पंजी–2 में जमाबंदी रैयतों बीबी खातुन, बीबी सहीदुन निशा, बीबी मजीरन इनायत मियाँ आदि की जमाबंदी कायम है। तथा प्रश्नगत भूमि पर उनके वारिशानों विपक्षीगण का शांतिपूर्वक दखल है। आवेदक द्वारा जो बिक्री कवाला संख्या–1054 दिनांक–29.05.1958 की अभिप्रमाणित छायाप्रति दाखिल किया गया है। उसमें क्रेता बीबी खातुन खतियानी रैयत कारू कलाल की पुत्री थी, जिसने शेख वंशी मियाँ से बजरिये बिक्री केवाला हासिल किया था। जो इस बात की पुष्टि करता हैं कि खतियानी रैयत कारू कलाल का वर्ष 1958 में उक्त भूमि पर स्वत्व नहीं था। आवेदक द्वारा जाली एवं बंनावटी दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान वाद दाखिल किया गया है। जिसका कोई आधार नहीं है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाए। विपक्षीगण की ओर से भी संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति दाखिल की गई है। जिनका सत्यापन मूल कागजातों से कर लिया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों तथा राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि कारू कलाल, पिता–अरवजु कलाल के नाम से रैयती दर्ज है। परंतु पंजी 2 में जमाबंदी बीबी खातुन, बीबी सहीदुन निशा बीबी मजीरन तथा इनायत मियॉ के नाम से कायम है। राजस्व कर्मचारी द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि जमांबंदी के परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। दखल कब्जा के संबंध में राजस्व कर्मचारी द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर आवेदक का दखल कब्जा हैं। तथा शेष भाग परती है। उक्त भूमि पर जमावंदी रैयतों का दखल कब्जा नहीं है। प्रतिवेदित के अवलोकन से यह लगता है कि पूर्व में कुछ भाग पर जमाबंदी रैयतों का दखल कब्जा है तथा शेष भाग परती है'' लिखा हुआ था परंतु बाद में ''कुछ भाग पर'' को काट दिया गया है। एवं कब्जा के बाद ''नही'' जोड़ा गया है। इससे स्पष्ट होता

है कि प्रतिवेदन में छेड़छाड़ किया गया है। स्वयं स्थल जॉच किया एवं पाया कि प्रश्नगत भूमि के किसी भी हिस्से पर आवेदक का दखल कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर जमाबंदी रैयतों एवं उनके उतराधिकारयों का शांतिपूर्ण दखल है। उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वे खतियान में भूमि कारू कलाल के नाम से बतौर रैयती दर्ज है। परंतु वर्ष 1926 में संबंधित खेवट दारों के बीच बंटवारा वाद संख्या–14/1926 में संबंधित खेवट दारों के बीच बंटवारा वाद सख्या–14/1926 चला था। जिसमें दिनांक–16.08.1928 में फैसला पारित किया गया था। तथा 14.03.1936 को पक्षकारों का तख्ता काटकर अलग–अलग किया गया था। उक्त अंतिम डिक्री तत्कालीन अपर न्यायाधीश हजारीबाग के न्यायालय से पारित किया गया था। उक्त डिक्री के माध्यम से खेवटदारों को उनका हिस्सा प्राप्त हुआ एवं उन्होनों अपने–अपने हिस्से की भूमि जमाबंदी रैयतों एवं उनके पूर्वजों को विभिन्न बिक्री केवालों/हुकुमनामा के माध्यम लेकर उनके नाम से जमीन्दारी मालगुजारी रसीद एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होता आ रहा है। जमाबंदी रैयत शरण ठाकुर के उतराधिकारियों के हिस्से की भूमि का दाखिल खारिज पंचायत बंटवारा एवं दखल के आधार पर इस न्यायालय द्वारा वाद संख्या–251/85–86, 15/86–87 दिनांक–18.03.1985 को किया गया। खतियानी रैयत कारू कलाल की पुत्री वर्तमान वाद में विपक्षी बीबी खातुन द्वारा शेख वंशी मियॉ से बिक्री केवाला संख्या–1054 दिनांक–29.05.1958 के माध्यम से खाता सख्या–20, 78 एवं 107 की कुल 7.24 एकड़ भूमि का क्रय किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि सन 1958 ई0 में खतियानी रैयत कारू कलाल का प्रश्नगत भूमि पार कोई स्वत्व Title नहीं था। विपक्षी गणों की ओर से JLJR2008 (ii) में प्रकाशित WP (C) 4895/07 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले की प्रति दाखिल की गई है, जिसके अनुसार–''It is well settled that a long running jamabandi cannot be cancelled unless fraud and misrepresentation is established in opening jamabandi creation of jamabandi gives a valuable right to the Raiyats." स्पष्ट हैं कि लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक जमाबंदी खोलने के समय कोई फरेब या कुप्रतिनिधित्व साबित न हो जाय। आवेदक द्वारा मात्र सर्वे खतियान के आधार पर रसीद निर्गत करने एवं लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करना सही नहीं हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर कोई दखल

नही है। मात्र सर्वे खतियान के आधार पर वे मालगुजारी रसीद निर्गत करने का दावा कर रहे हैं। जबकि राजस्व न्यायालय द्वारा रसीद निर्गत करने का आदेश दखल के आधार पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जो सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किया गया है। उसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। अतएव उक्त परिस्थिति में आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं है। अतः अस्वीकृत किया जाता है।''

अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार कायम जमाबंदी का विवरणी निम्नवत् है :–

क्रम	जमाबंदी रैयत	खाता सं	रकबा ए0 में	पंजी–2
01	बीबी खातुन, पति–इसुफ मियां	78, 107	6.25	62/1
02	बीबी सहीदुन निशा, पति–इमदाद हुसैन	1,15	4.23	22/1
3	बीबी मनीरन, पति वाहिद मियॉ	15	0.41	29/1
4	इनाय मियॉ, पिता–छकौड़ी मियॉ	15	2.16	30/1
5	बीबी माजदा खातुन, पति–गुलाम नबी	15	1.47	30/2
6	मंजर इकबाल, पिता–गुलाम नबी	15	0.28	32/2
7	पुरन ठाकुर, गंगा ठाकुर, पिता–सरन ठाकुर	1,19,57,102,107,74	2.60	158/2
8	अन्हक्ष ठाकुर, ईश्वर ठाकुर पिता–किसुन हजाम	1,19,74,57,102,107	2.28	74/2
9	मसो0 मुलिया, पति–किसुन हजाम	1,19,74,57,102,107	1.14	75/2
10	सोनिया देवी, पति–बंधु हजाम	1,19,74,57,102,107	1.14	164/1

राजस्व कर्मचारी के अपने जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि–''आवेदक द्वारा प्रस्तुत सर्वे खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया

है। उनके द्वारा केवाला संख्या–1094, दिनांक–29.07.1958 की छायाप्रति दी गई है। केवाला संख्या–1094 दिनांक–29.07.1958 का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि विक्रेता शेख वंशी मियां वगै है तथा क्रेता वीवी खातुन पति इसुफ मियां है। विक्रेता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है और न ही खतियानी रैयत का वंशज है। केवाला में खेवट संख्या–5 बिक्री किया गया है, जिसमें खाता संख्या–1, 20, 9, 10, 78 एवं 107 लिखा गया है, परंतु खाता संख्या–1, 20 खेवट सख्या–5 में नहीं है। खाता संख्या–9 एवं 10 तथा 78 एवं 1078 के खेवटदार सत्यानारायण लाल भगत था उनके पूर्वज नहीं है। खेवट सख्या–5 के खेवटदार हुसैनी साहु है। खाता संख्या–57 का खेवट संख्या 2/8 है, खेवटदार मोहनलाल है। केवाला में विक्रेता को उक्त भूमि हासिल बजरिये बन्दोबस्ती हुकुमनामा दिनांक–21 माह अप्रैल सन् 1952 ई0 द्वारा सत्यानाराण लाल भगत से लिखा गया है, जबकि जमीन्दारी वर्ष 1951 में ही समाप्त हो गई है। राजस्व कर्मचारी द्वारा यह भी उल्लेखित है कि बुझारत पंजी का अवलोकन किया ज्ञात हुआ कि उक्त खाता संख्या–15, 37, 78 एवं 107 अब्दुल मनान वगै0 पिता कारू कलाल के नाम से बुझारत में दर्ज है। स्थल जॉच किया ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर आवेदक का दखल कब्जा है, जमाबंदी रैयतों का दखल कब्जा नहीं है तथा शेष भाग परती है।''

उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश एवं कागजात तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा
3. द्वितीय पक्षों के द्वारा निबंधित केवाला, हुकुमनामा, निबंधित पट्टा के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा
4. द्वितीय पक्षों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम होना।

(1) रैयती भूमि का मामला :–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह वर्तमान अपील मौजा–कठौतिया, थाना संख्या–189 के अन्तर्गत खाता संख्या–15, 57, 78 एंव 107 क्रमशः रकवा–2.44 एकड़, 1.156 एकड़, 5.22 एकड़ एवं 1.27 एकड़ कुल रकवा–10.49 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह है कि उक्त वर्णित भूमि सेर्व के दौरान कारू कलाल, पिता–स्व0 अख्जु कलाल (आवेदक के

दादा) के नाम से खतियान में दर्ज है।''

(2) प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा :–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह वर्तमान अपील मौजा–कठौतिया, थाना संख्या–189 के अन्तर्गत खाता संख्या–15, 57, 78 एंव 107 क्रमशः रकवा–2.44 एकड़, 1.156 एकड़, 5.22 एकड़ एवं 1.27 एकड़ कुल रकवा–10. 49 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह है कि उक्त वर्णित भूमि सेर्व के दौरान कारू कलाल, पिता–स्व0 अख्जु कलाल (आवेदक के दादा) के नाम से खतियान में दर्ज है। सर्वे रैयत कारू कलाल के द्वारा जमीन्दार को लगातार लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया है। अपने जीवन काल में शांतिपूर्वक दखलकार होकर कृषि कार्य करते रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों के द्वारा भी दखल कब्जा में रहे है। जमीन्दारीद उन्मूलन के बाद सर्वे रैयत के पुत्र अब्दुल मनान, अब्दुल रहमान एवं मो0 सुभान का नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज होकर वर्ष 1955, 1957, 1959 एवं अन्य वर्षो के लिए सरकारी रसीद निर्गत हुआ है। अब्दुल मनान, अब्दुल रहमान एवं मो0 सुभान के मृत्य के बाद उनके पुत्र विभिन्न जगहों पर जीवन यापन हेतु बाहर चले गये इसलिए रसीद नहीं निर्गत करवा सके।''

(3) **द्वितीय पक्षों के द्वारा निबंधित केवाला, हुकुमनामा, निबंधित पट्टा के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा :– विपक्षी 1 से 3 तक के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में अंकित किया है कि**–''बंशी कुंजरा के द्वारा पूर्व जमीन्दार से अनुरोध कर के मौजा–कठौतिया खाता संख्या–78, प्लॉट सख्या–552, 608, 813, 848, 853, 95, कुल रकवा–7.25 एकड़ भूमि दिनांक–06.01.1945 को **सादा हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त किया** गया एवं जमीन्दारी रसीद भी निर्गत करवाया गया। पैसे की आवश्यकता होने के कारण बंशी मियां के द्वारा मौजा–कठौतिया खाता संख्या–78, 107, 20, का कुल रकवा–7.24 एकड़ भूमि विपक्षी संख्या 01 से 03 की माता बीबी खातुन को **निबंधित सेल डीड संख्या–1094 दिनांक–29.07.1958** के माध्यम से बेच दिया गया।'' **यह है कि विपक्षी संख्या–04** की माता बीबी मजदा के द्वारा मौजा–कठौतिया खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–166, 886, रकवा–1.37 एकड़ भूमि बीबी शाहीदुन निशा से **निबंधित सेल डीड संख्या–8388 दिनांक–08.12.1973** के माध्यम से प्राप्त किया गया है विक्रेता को भूमि पूर्व जमीन्दारी जगलाल मिश्र

एवं अन्य से हुकुमनामा के माध्यम से भूमि प्राप्त है। विपक्षी 04 मंजर इकवाल अपनी माता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर शांतिपर्वूक दखलकार होकर काबिज है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है।'' **विपक्षी संख्या–05 से 09 के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखति किया है कि**–''यह है कि विपक्षी सख्या–05 से 09 इनायत मियां पिता–छकौरी मियां के वैध वंशज है, जिनके नाम से खाता सख्या–15, रकवा–2.16 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है जो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। यह है कि मौजा–कठौतिया के खेवटदारों के बीच बंटवारा सुट सख्या–14/1926 के आधार पर पूर्व जमीन्दार को भूमि प्राप्त हुआ था। **पूर्व जमीन्दार के द्वारा इनायत मियां के नाम से भूमि बंदोबस्त किया गया था।** जमीन्दारी उन्मुलन के बाद इनायत मियां के नाम से पंजी–2 में जमाबंदी कायम हुआ एवं सरकारी रसीद निर्गत हुआ। अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2008–09 में खतियान के आधार पर लगभग 100 वर्ष का रसीद निर्गत करवाना चाहते है, इसी से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नहीं बनता है।'' विपक्षियों 10 से 14 के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किए है कि–''लंबे अर्से तक कारू कलाल अथवा उसके वारिसानों ने उक्त भूमि का वापसी के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। बाद में उन जमीनों के जमीन्दारी ने प्रतिवादियों के पुर्वजों को पट्टा हुकुमनामा से रैयती बंदोबस्ती दे दिया। इस प्रकार खाता संख्या–57 के खेवटदार/जमीन्दार मोहन लाल के प्रतिवादी से 08 से 08 (v) के पूर्वज शरण हजाम का निबंधित पट्ट संख्या–565 दिनांक–10.12.1932 द्वारा मौजा कठौतिया अंतर्गत खाता संख्या–57, प्लॉट संख्या–107, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 166, 288 एवं 206/914 कुल रकवा–2.45 एकड़ उपरोक्त जमीन वार्षिक मालगुजारी 18 रूपया 10 आना पर दें कर दखल कब्जा प्रदान कर दिया। अगले वर्ष इसी मौजा के खाता संख्या–107 अंतर्गत प्लॉट संख्या–533 का रकवा–0.24 डी0 भूमि के जमीन्दार हुसैनी साहु के वारिसान एवं उतराधिकारी बाबु नन्दन साहु एवं दुर्गा प्रसाद साहु ने शरण हजाम को डेड़ रूपये वार्षिक माल अदायगी पर सादा हुकुमनामा द्वारा दिनांक–08.07.1993 को पट्टे पर दे कर दखल कब्जा प्रदान कर दिया। उपरोक्त उक्त निबंधित पट्टा में यह जिक्र है कि जमीन का परित्याग कर मालगुजारी देना बंदकर दिया गया है तब उसे जमीन्दार ने अधिगृहित कर शरण हजाम को पट्टे पर दे रहे हैं।''

(4) **द्वितीय पक्षों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम होना** – द्वितीय

पक्षों का जमाबंदी विवरणी राजस्व कर्मचारी प्रतिवेदन के आधार पर उपर में वर्णित है। **परंतु राजस्व कर्मचारी के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–''** केवाला संख्या–1094 दिनांक–29.07.1958 का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि विक्रेता शेख वंशी मियां वगै है तथा क्रेता बीबी खातुन पति इसुफ मियां है। विक्रेता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है और न ही खतियानी रैयत का वंशज है। केवाला में खेवट संख्या–5 बिक्री किया गया है, जिसमें खाता संख्या–1, 20, 9, 10, 78 एवं 107 लिखा गया है, परंतु खाता संख्या–1, 20 खेवट सख्या–5 में नहीं है। खाता संख्या–9 एवं 10 तथा 78 एवं 1078 के खेवटदार सत्यानारायण लाल भगत था उनके पूर्वज नहीं है। खेवट सख्या–5 के खेवटदार हुसैनी साहु है। खाता संख्या–57 का खेवट संख्या 2/8 है, खेवटदार मोहनलाल है। केवाला में विक्रेता को उक्त भूमि हासिल बजरिये बन्दोबस्ती हुकुमनामा दिनांक–21 माह अप्रैल सन् 1952 ई0 द्वारा सत्यानाराण लाल भगत से लिखा गया है, जबकि जमीन्दारी वर्ष 1951 में ही समाप्त हो गई है। राजस्व कर्मचारी द्वारा यह भी उल्लेखित है कि **बुझारत पंजी का अवलोकन किया ज्ञात हुआ कि उक्त खाता संख्या–15, 37, 78 एवं 107 अब्दुल मनान वगै0 पिता कारू कलाल के नाम से बुझारत में दर्ज है। स्थल जॉच किया ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर आवेदक का दखल कब्जा है**, जमाबंदी रैयतों का दखल कब्जा नहीं है तथा शेष भाग परती है।''

उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार बुझारत पंजी में पूर्वजों के नाम दर्ज होने, दखल कब्जा तथा निर्गत रसीद के आधार पर तथा द्वितीय पक्षों के द्वारा निबंधित केवाला, हुकुमनामा, निबंधित पट्टा एवं कायम जमाबंदी तथा निर्गत रसीद से संबंधित कागजातों के आधार पर दावा किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश एवं दोनों पक्षों द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर संबधित भूमि के संदर्भ में स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय से कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को भेंजे। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

22/02/23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

22/02/23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:17:12 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe